Freedom fighters pension cases pending with Punjab Government

228. SHRI N. RAJANGAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state what was the number of cases of freedom fighters/widows of freedom fighters pending for grant of pension by Punjab Government as on 28th February 1990?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI MUFTI MOHAMMAD SAYEED); According to information received from the Government of Punjab, 250 cases of freedom fighters/ widows of deceased freedom fighters were pending for grant of pension by that Government on 28th February, 1990

दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में सरकारिया समिति

229. **श्री राम जेठमलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के प्रशासनिक ढांचे में सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए 1987 में सरकारिया समिति का गठन किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आरम्भ में इस समिति से अपना प्रतिवेदन छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने को कहा गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समिति का प्रतिवेदन समय पर प्राप्त न होने के कारण इसका कार्यकाल बार-बार बढ़ाया गया ; और

(घ) यदि हां, तो इसका कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया ; यह कार्यकाल कुल कितने समय के लिए बढ़ाया गया था और सरकार द्वारा इस समिति पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने की कुल अवधि के दौरान समिति के कार्यकाल को, कुल मिलाकर तीन बार बढ़ाया गया इस पर कुल 51,51,156 रुपये व्यय हुए ।

सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव

239. **श्री राम जेठ मलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए इन उपायों का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं ; जिन्होंने उक्त उपायों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है?

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिनमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए हैं । इस समय इन दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनायें

231. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या मे लगातार वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी अनुपात में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई इन सड़क दुर्घटनाओं की वर्षवार संख्या कितनी है और इनमें से ग्रामीण सड़कों पर और राष्ट्रीय राज

मार्गों पर हुई दुर्घटनाओं की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री, साथ में संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री के० पी० उन्नीकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ग)

(ख) जी, नहीं । हालांकि वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान वाहनों की संख्या में क्रमश: 16.4% 19.5% और 15.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन 1986 और 1987 में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि क्रमश: 2.7% और 8.9 प्रतिशत रही । वर्ष 1988 में दुर्घटनाओं की संख्या में 7.8 प्रतिशत की कमी आई ।

वर्ष	वर्ष के 31 मार्च को पंजीकृत कुल मोटर वाहनों की संख्या	सड़क दुर्घटनाएं		
		मृतकों की संख्या	गंभीर/मामूली रूप से घायलों की संख्या	कुल दुर्घटनाएं
1986 .	10489000	39743	176277	213957
1987 .	12534000	44359	189920	232981
1988 .	14484000	49218	206060	214854

राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने हेतु लिखती रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र देने आदि पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर्ताओं को प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना करें। नए मोटर यान अधिनियम, 1988 में किए गए प्रावधान के अनुसार परिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु ड्राइवर प्रशिक्षण एक पूर्वापेक्षा है । सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए प्रावधानों में, वाहनों में सुरक्षा उपकरण लगाना, सुरक्षित भार सीमाओं, अधिकतम गति से संबंधित विनियम, राजमार्गों पर ट्रक पार्किंग कम्प्लेक्सेस की स्थापना इत्यादि शामिल हैं।

सड़क सुरक्षा उपाय करने और राज्य एजेंसियों के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया है । राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदों का गठन करें ।

सड़क अनुशासन का पालन करने के संबंध में जनता में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताहों का आयोजन किया जाता है । 6–12 जून, 1988 और 3 से 9 अप्रैल, 1989 के दौरान सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था ।

Value of imports for C-D0T project

232. SHRI KAMAL, MORARKAs Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the total yaluie of imports sanctioned for the C-DOT project;